रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269402
CG-DL-E-16012026-269402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947
No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 42(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2022 का और संधोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2025 है।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति नियम, 2022 के, नियम 2 में, क्रम संख्या (1), क्रम संख्या (2), क्रम संख्या (3) और क्रम संख्या (4) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी,
   अर्थातः-

(1) श्री बालमुरुगन डी, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय;

(2) श्री आनंद मोहन बजाज, भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक;

(3) सुश्री सुधा बालाकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक;

(4) श्री जीवन सोनपरोटे, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[फा. सं. एनएफआरए-05/6/2018-एनएफआरए-एमसीए]

शान्तनु मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

नोट : राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 400(अ), तारीख 25 मई, 2022; सा.का.नि. 602(अ), तारीख 22 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 496(अ), तारीख 13 अगस्त, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2026

G.S.R. 42(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022, in rule 2, for serial numbers (1), (2), (3) and (4) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"(1) Shri Balamurugan D, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs;

(2) Shri Anand Mohan Bajaj, Deputy Comptroller and Auditor General of India;

(3) Ms. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer, Reserve Bank of India;

(4) Shri Jeevan Sonparote, Executive Director, Securities and Exchange Board of India."

[F. No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA]

SANTANU MITRA, Senior Economic Adviser

Note: The National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 220 (E), dated the 23rd March, 2022, subsequently amended vide notification number G.S.R 400(E), dated the 25th May, 2022; G.S.R 602(E), dated the 22nd July, 2022 and last amended *vide* notification number G.S.R. 496(E), dated the 13th August, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA